

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

पत्र संख्या-1/एल1-10-04/2014 गृ0आ0...../श्री हर किशोर राय, भा0पु0से0 (2011), पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना को आखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली- 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से 28.07.2014 तक कुल 28 (अट्दाइस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राय के उक्त अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-1/एल1-10-04/2014 गृ0आ0/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-1/एल1-10-04/2014 गृ0आ0/

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-1/एल1-10-04/2014 गृ0आ0/ 5809

पटना, दिनांक 14.07.14

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री हर किशोर राय, भा0पु0से0 (2011), पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना/नगर पुलिस अधीक्षक, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11/5/14
सरकार के विशेष सचिव।